

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(2)ग्रावि-5/लेखा/विविध/PMAY-G/2018-19 जयपुर, दिनांक 17 फरवरी, 2020

विशिष्ट सचिव(ग्रा.आ.),
ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषय :- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के वित्तीय वर्ष 2019-20 के अतिरिक्त लक्ष्य 86816 हेतु केन्द्रीयांश की प्रथम किश्त जारी करने बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्रांक J-12032/01/2019-RH (A/c) दिनांक 06.01.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के Observation के क्रम में निम्नानुसार कार्यवाही एवं तथ्य प्रेषित है:-

1. वर्ष 2019-20 केन्द्रीयांश की प्रथम किश्त राशि रु. 131040.00 लाख में से बकाया राशि रु. 10141.12 लाख जारी की जा चुकी है।
2. जारी केन्द्रीयांश के पेटे जारी राशि रु. 41645.24 लाख जारी किये जाने की स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा राज्य के प्रस्तावित बजट दिनांक 20.02.2020 के पश्चात् जारी करने की सहमति दी गई है।
3. इन्दिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं प्रशासनिक मद का खाता संकलित होने की बजह से अंकमिलान संभव नहीं हो पा रहा है। इसके बावजूद भी आवाससॉफ्ट पर मार्च 2019 तक का मिलान एसएनए के वास्तवित बैलेंस से कर दिया गया है।
4. आवाससॉफ्ट पर प्रदर्शित A5 रिपोर्ट के अनुसार अवशेष राशि व्यय हो चुकी है।

आवाससॉफ्ट पर प्रदर्शित A4 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 की लगभग 50000 की द्वितीय किश्त राशि रु. 225.00 करोड एवं तृतीय किश्त राशि रु. 240.00 करोड एवं अतिरिक्त स्वीकृत 86816 आवासों की स्वीकृति के साथ प्रथम किश्त हस्तान्तरण हेतु राशि रु. 130.00 करोड कुल राशि रु. 595.00 करोड रु. इसी माह में लगभग 1200.00 करोड की आवश्यकता होगी।

अतः उपरोक्तानुसार बकाया राज्यांश शीघ्र ही जारी किये जाने बाबत वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा अवगत कराये जाने, बकाया केन्द्रीयांश जारी होने, 31.03.2019 का अंक मिलान किये जाने व माह मार्च 2020 तक लगभग राशि रु. 1795.00 करोड की आवश्यकता के मध्यनजर वर्ष 2019-20 की केन्द्रीयांश की द्वितीय एवं अतिरिक्त आवंटित लक्ष्य की प्रथम किश्त जारी कराने का श्रम करावे, जिससे योजना की प्रगति प्रभावित न हो।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,
(राजेश्वर सिंह)

अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रावि एवं पंचायती



क्रमांक एफ 27(2)ग्रावि-5/लेखा/विधि/PMAY-G/2018-19 जयपुर, दिनांक 17 फरवरी, 2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, विशिष्ट सचिव(ग्रा0आ0) ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
3. उप-महा निदेशक, (ग्रा0आ0) ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रावि।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रावि।
6. वित्तीय सलाहकार, ग्रावि।

राज्य नोडल अधिकारी, पीएमएवाई-जी